

प्रेषक,

लीना जीहरी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

लखनऊ : 20 अक्टूबर, 2011

विषय : उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय विभिन्न प्रकार के भत्तों में वृद्धि/ अन्य विसंगतियों का निवारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3/क-विविध-2010, दिनांक 05-05-2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय विभिन्न प्रकार के भत्तों में निम्नानुसार वृद्धि/संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. पी.ए.सी. एलाउन्स

क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुगम्य पीएसी भत्ता (प्रतिमाह) रूपयों में	संशोधित पी.ए.सी. भत्ता (प्रतिमाह) रूपयों में
1	सेनानायक	400	1600
2	उपसेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक	150	600
3	सहायक सेनानायक/स्टाफ आफिसर	150	600
4	शिबिरपाल	150	600
5	दलनायक	100	400

6	सुबेदार मेजर	60	250
7	सुबेदार शिविरपाल	60	250
8	प्लाटून कमाण्डर	50	200
9	मुख्य आरक्षी	30	150
10	नायक	40	200
11	लान्स नायक	30	150
12	आरक्षी एवं समकक्षा	20	100

2. पौष्टिक आहार भत्ता

क्र.सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य पौष्टिक आहार भत्ता	संशोधित पौष्टिक आहार भत्ता
1	अपर पुलिस अधीक्षक से उपनिरीक्षक एवं लिपिकीय संवर्ग	550	600
2	हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल	700	750
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	600	650

3. नक्सल क्षेत्र भत्ता

क्र.सं०	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य भत्ता प्रतिमाह (रूपये में)	संशोधित भत्ता प्रतिमाह (रूपये में)
1	उपसेनानायक/अपर पुलिस अधीक्षक	-	4,500
2	सहायक सेनानायक/पुलिस उपाधीक्षक	2500	3750
3	निरीक्षक/उपनिरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर	2000	3000
4	मुख्य आरक्षी	1000	1500
5	आरक्षी/आरक्षी चालक	1000	1500
6	चतुर्थ श्रेणी	800	1200

4. एस.टी.एफ./ए.टी.एस.

क्र.सं.	पदनाम	अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह (रूपये में)	संशोधित प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह (रूपये में)
1	अपर पुलिस महानिदेशक	-	मूल वेतन का 15

			प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
2	पुलिस महानिरीक्षक	मूल वेतन का 30 प्रतिशत अधिकतम रु. 4500	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
3	पुलिस उप महानिरीक्षक	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
5	अपर पुलिस अधीक्षक	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
6	पुलिस उपाधीक्षक	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 7500
7	निरीक्षक	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
8	उप निरीक्षक	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
9	एस.आई.एम.	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
10	ए.एस.आई.एम.	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
11	हेड कांस्टेबल(रेडियो)	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
12	सहायक आपरेटर (रेडियो)	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
13	हेड कांस्टेबल	तदेव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
14	कांस्टेबल	तदेव	मूल वेतन का 15

15	दफ्तरी	तदैव	प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
16	गुरु श्रेणी कर्मचारी	तदैव	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500
			मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम रु. 6500

5. विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.)

क्र. सं.	पदनाम	अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह	संशोधित विशेष भत्ता प्रतिमाह
1	अपर पुलिस महानिदेशक	मूल वेतन का 15 प्रतिशत	मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर परन्तु अधिकतम रु. 6,500
2	पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक	तदैव	तदैव
3	पुलिस अधीक्षक	तदैव	तदैव
4	पुलिस उपाधीक्षक	मूल वेतन का 25 प्रतिशत	तदैव
5	अभियोजन अधिकारी	तदैव	तदैव
6	साहायक अभियोजन अधिकारी	तदैव	तदैव
7	निरीक्षक	तदैव	तदैव
8	उपनिरीक्षक	तदैव	तदैव
9	एसओआईओ(एम)	तदैव	तदैव
10	एओएसओआईओ(एम)	तदैव	तदैव
11	कान्सो	तदैव	तदैव
12	फालोवर	तदैव	तदैव

(6)- (i) अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सीओबीओसीओआईओडीओ), (ii) भ्रष्टाचार निवारण संगठन, (iii) आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग (iv) सतर्कता अधिष्ठान, (v) अभिसूचना विभाग, (vi) सुरक्षा शाखा, (vii) विशेष जांच शाखा:-

क्र. सं.	पदनाम	वर्तमान में देय विशेष वेतन (प्रतिमाह)	वर्तमान में देय विशेष सेवा भत्ता (प्रतिमाह)	अनुमन्य विशेष वेतन/विशेष सेवा भत्ता का योग (प्रतिमाह)	संशोधित विशेष वेतन
----------	-------	---------------------------------------	---	---	--------------------

1.	पुलिस अधीक्षक,	800	-	800	विशेष वेतन एवं विशेष सेवा भत्ता के रूप में अनुगम्य कुल धनराशि के 04 गुना के बराबर विशेष वेतन के नाम से अनुगम्य किया जाता है।
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	500	-	500	
3.	पुलिस अधीक्षक	200	200	400	
4.	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	200	200	400	
5.	अभियोजन अधिकारी	200	200	400	
6.	निरीक्षक नागरिक पुलिस	150	170	320	
7.	उपनिरीक्षक	120	150	270	
8.	निरीक्षक (एम) गोपन निबंधक	150	170	320	
9.	निरीक्षक (एम) गोपनीय सहायक	150	170	320	
10.	एस0आई0(एम) प्रधान लिपिक/व0लि0	120	150	270	
11.	एस0आई0(एम0) स्टेनो	120	150	270	
12.	एस0आई0(एम0)फोटोग्राफर /वीडियोमैन	120	150	270	
13.	एस0आई0(एम0)	30	50	80	
14.	हे0कान्स0 ना0पु0	30	50	80	
15.	हे0कान्स0 एमटी0	30	50	80	
16.	आरक्षी ना0पु0/स0पु0	30	40	70	
17.	आरक्षी चालक	30	40	70	

7. वर्दी अनुरक्षण भत्ता

क.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुगम्य वर्दी अनुरक्षण भत्ता (रूपयों में)	संशोधित वर्दी अनुरक्षण भत्ता (रूपयों में)
1	प्रान्तीय पुलिस सेवा के अधिकारी	120	300
2	पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी	30	150

8. वर्दी भत्ता

क.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुगम्य वर्दी भत्ता (रूपयों में)	संशोधित वर्दी भत्ता (रूपयों में)
1	पुलिस बल के कार्मिक	भर्ती के समय- रु. 1500/ एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर रु. 1500	भर्ती के समय रु. 6000/ एवं प्रत्येक 05 वर्ष पर रु. 6,000/

9. वर्दी प्रतिपूर्ति भत्ता

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष (रूपयो में)	संशोधित वर्दी भत्ता (रूपयो में)
1	पुलिस बल के समस्त हेड कांस्टेबल/समतुल्य पद -- एवं कांस्टेबल/समतुल्य पद	1200	भर्ती के समय रु. 4,800/ एवं प्रतिवर्ष रु. 1,800/

10. चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी भत्ता एवं नवीनीकरण भत्ता

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष (रूपयो में)	संशोधित वर्दी भत्ता (रूपयो में)
1	पुलिस बल के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्रथम बार रु 1,000/ तथा प्रतिवर्ष रु. 800/	प्रथम बार रु. 4,000/ एवं प्रतिवर्ष रु. 1200/

(11)- आरक्षी चालक

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य चालन भत्ता प्रतिमाह (रूपयो में)	संशोधित चालन भत्ता प्रतिमाह (रूपयो में)
1	आरक्षी चालक	30	300

- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-26 के लेखा शीर्षक '2055-पुलिस आयोजनेत्तर' के अन्तर्गत विभिन्न लघु शीर्षकों के अधीन सुसंगत मद के नामे डाला जायेगा।
- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-608/दस-2011, दिनांक 20-10-2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

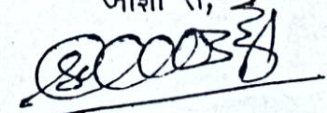
लीना जीहरी
सचिव।

संख्या:-2826 (1)/छ:-पु-1-11-151/09, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अपर महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12 (तीन प्रतियों में)/ वित्त सामान्य अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
4. गृह (पुलिस) अनुभाग-7
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(सुशील कुमार पाण्डेय)

अनु सचिव।